रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D(D)-72

16 OCT 1979

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग—III—खण्ड—1

PART—III—Section—1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1979/आषाढ़ 9, 1901

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1979/ASADHA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

वस्त्र आयुक्त कार्यालय

अधिसूचना

बम्बई, 29 जून, 1979

सं० सी०ई०आर० 17/79.—सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश 1948 के खंड 20 और खंड 21 उप-खंड (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं०सी०ई०आर० 17/74 दिनांक 14 जनवरी 1974 में दिये निदेशों को अधिक्रांत करते हुए मैं एतद्द्वारा निम्नलिखत निदेश जारी करता हूं अर्थात:—

(एक) इन निदेशों का पालन तत्काल होगा और यह 31 मार्च 1982 तक प्रभावी रहेंगे ।

(दो) सूत के सभी उत्पादक इन निदेशों का पालन करेंगे

(तीन) यदि कोई उत्पादक इस अधिसूचना के परंतुकों का पालन करने में उचित कारणों से अक्षम हो तो उसे तत्काल इस अधिसूचना के पालन में अपनी असमर्थता का पूरा औचित्य देते हुए वस्त्र आयुक्त को आवेदन देकर इस विषय में उनके विशेष आदेश प्राप्त कर लेने चाहियें ।

2. प्रत्येक सूत उत्पादक जुलाई-सितम्बर 1979 की तिमाही से लेकर और उसके बाद प्रत्येक तिमाही में नागरिक उपभोग के लिए हैंक के रूप में सूत पैक करेगा जिसका अनुपात प्रत्येक तिमाही में नागरिक उपभोग के लिये उसके द्वारा पैक किये संपूर्ण सूत के पचास प्रतिशत से कम न होगा

बशर्ते की हैंक के रूप में अनिवार्य रूप से पैक सूत का पचासी प्रतिशत 40 काउन्ट या उससे कम काउन्ट का होगा ।

3. इन निदेशों के प्रवर्तन के दौरान नागरिक उपभोग के लिये उत्पादित सूत का पैंसठ प्रतिशत हैंक रूप में और उत्पादन का नब्बे प्रतिशत 40 काउन्ट से कम काउन्ट का सूत उत्पादित करने के लिये उत्पादकों को मिले अनुज्ञापत्रों की शर्तें नहीं रहेंगी और इनकी जगह इस अधिसूचना में दिये गये निदेश लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—एक

इस अधिसूचना के लिए 'सूत' शब्द का अर्थ उक्त सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 में सूत शब्द के अर्थ में ही होगा लेकिन जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे :—

(1) होजीयरी यार्न (2) सीने का धागा (3) औद्योगिक सूत जैसे टायर कार्ड आदि (4) विभिन्न काउंट्स के काप बाटम से रील किया गया मिश्रित सूत काप बाटम से रील किया गया छुट्टे सिरोंवाला सिंगल काउंट का सूत अथवा कम दूरी पर गांठोंवाला इकहरा सूत ।

स्पष्टीकरण—दो

"नागरिक उपभोग के लिए पैक किया सूत" इस उक्ति से तात्पर्य (1) ऐसे विनिर्माता की दशा में जो वस्त्र और सूत दोनों बनाता है ऐसे सूत से है जो उसके अपने करघाने की वीविंग शेड में वस्त्र बनाने

में वास्तविक रूप से उपयोग किए गए सूत से अतिरिक्त मात्रा में भारत में बेचे जाने के उद्देश्य से पैक किया हो और (2) ऐसे विनिर्माता की दशा में जो सिर्फ सूत ही बनाता है, ऐसे सूत की संपूर्ण मात्रा से है जो उसने भारत मे ही बेचे जाने के उद्देश्य से पैक किया हो ।

गौरी शंकर भार्गव, संयुक्त वस्त्र आयुक्त

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

Office of the Textile Commissioner

NOTIFICATION

Bombay, the 29th June, 1979

No. CER/17/79.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 20 and sub-Clause (5) of Clause 21 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948 and in supersession of the directions contained in the Textile Commissioner's Notification No. CER/17/74 dated 14th January, 1974, I hereby issue the following directions :

(i) These directions shall come into force immediately and shall continue to be in force till 31st March, 1982.

(ii) These directions shall be complied with by all producers of yarn.

(iii) If a producer of yarn is not able to comply with the provisions of this Notification for valid reasons he shall apply forthwith to the Tetile Commissioner giving full justification for his inability to comply with the Notification and obtain his specific orders in that behalf.

2. Every producer of yarn shall pack yarn for civil consumption in hank form in each quarter commencing from the July-September, 1979 quarter and in every subsequent quarter in proportion of not less than fifty per cent of total yarn packed by him during each quarter for civil consumption :

Provided that not less than eighty-five per cent of the yarn required to be packed in hank form shall be of counts 40s and below.

3. During the operation of these directions the stipulations contained in the Permissions issued to the producers for producing sixty-five per cent of yarn for civil consumption in hank form and ninety per cent of the production in counts below 40s shall remain in abeyance and instead the directions contained in this notification shall apply to them.

Explanation I :

"Yarn" for the purpose of this Notification shall mean yarn within the meaning of the above said Cotton Textiles (Control) Order 1948 but does not include the following :—

(1) Hosiery Yarn, (2) Sewing thread, (3) Industrial yarn like tyre cord etc. (4) Mixed yarn reeled off from cop bottoms of various counts and yarn comprising of single count reeled off from cop bottoms having loose and or knots at short lengths of single yarn.

Explanation II :

The expression "yarn packed for civil consumption" shall (1) in the case of a producer producing both cloth and yarn means yarn packed in excess of yarn actually used for weaving of cloth in his own weaving shed in the factory premises for sale in India and (2) in the case of a producer producing yarn only the entire quantity of yarn packed by him for sale in India.

G. S. BHARGAVA, Jt. Textile Commissioner

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979